



## यूजेवीएन लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

### U J V N Limited

(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

मानव संसाधन विभाग, "उज्ज्वल", महारानी बाग, जी०एम०एस० रोड, देहरादून - 248006 (उत्तराखण्ड)

Human Resources Department, "Ujjwal", Maharani Bagh G.M.S. Road, Dehradun - 248006 (Uttarakhand)

दूरभाष/Phone-0135-2530030/2530061/2530584/2530909/2531975 फ़ैक्स/Fax-0135-2531343/2531646 Website: www.ujvnl.com CIN No. U40101UR2001SGC025866

ISO 9001 : 14001

### कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा, यूजेवीएन लिमिटेड के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक एवं उन पर पूर्णतया आश्रित परिजन तथा पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद/उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० के, वे सेवानिवृत्त कार्मिक जो यूजेवीएन लिमिटेड में आमेलित हैं एवं सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक की मृत्यु की अवस्था में उसकी आश्रित पत्नी (पारिवारिक पेंशनर) को चिकित्सालय में नियमानुसार भर्ती के दौरान/बाह्य रोगी की हैसियत से उपचार कराये जाने पर हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु तालिका में दर्शाये गये चिकित्सालयों की मान्यता अवधि निम्नानुसार बढ़ायी जाती है:-

क्र० सं०	अस्पताल का नाम	मान्यता अवधि		टिप्पणी
		(से)	(तक)	
1.	निर्मल आश्रम आई इन्स्टीट्यूट, ऋषिकेश।	01.01.2024	31.12.2025	CGHS/NABH (Central Government Health Scheme, Dehradun 2014) (Updated on 04 <sup>th</sup> May 2021) दरों पर
2.	कनिष्क सर्जिकल एण्ड सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, देहरादून।	01.01.2024	31.12.2025	
3.	चामुण्डा सर्जिकल एण्ड लेप्रोस्कोपिक सेंटर, रामनगर रोड़, काशीपुर।	01.01.2024	31.12.2025	
4.	उजाला सिग्नेस सैन्ट्रल हास्पिटल, हल्द्वानी (नैनीताल)।	01.01.2024	31.12.2025	
5.	आस्था अस्पताल, 2/1, बल्लुपुर चौक, देहरादून।	01.01.2024	31.12.2025	CGHS (Central Government Health Scheme, Dehradun 2014) (Updated on 04 <sup>th</sup> May 2021) दरों पर
6.	अमृतसर आई क्लीनिक, ई०सी० रोड़, देहरादून।	01.01.2024	31.12.2025	
7.	एम०एम० नैथानी आई सेंटर, डालनवाला, देहरादून।	01.01.2024	31.12.2025	
8.	आरोग्यधाम सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, देहरादून।	01.01.2024	31.12.2025	
9.	थापर स्पेशियलिटी डेन्टल क्लीनिक, बल्लुपुर रोड़, देहरादून।	01.01.2024	31.12.2025	

उपरोक्त चिकित्सालयों से सम्बन्धित पूर्व कार्यालय ज्ञाप में उल्लेखित अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे। मान्यता अवधि में यदि CGHS Rate पुनरीक्षित होते हैं तो स्वतः Updated Rates ही मान्य होंगे।

क्रमशः...../2

सम्बन्धित चिकित्सालयों की निम्नलिखित बिंदुओं के अनुपालन न करने पर उपरोक्त मान्यता कभी भी समाप्त की जा सकती है :-

- मान्यता अवधि में चिकित्सालय प्रबन्धन द्वारा चिकित्सा दरों में कोई वृद्धि किये जाने पर।
- किसी बिल में निर्धारित दरों से अधिक राशि लेने की शिकायत आने या शिकायत का समाधान न होने पर।
- दर सूची में जो मद देय नहीं हैं, को अस्पताल के बिल में सम्मिलित किये जाने पर।
- अस्पताल को पुलिस केस में, कन्ज्यूमर फोरम में, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण अथवा न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर।
- अस्पताल के विरुद्ध यूजेवीएन लि० के मरीजों द्वारा लापरवाही या असहयोग की शिकायतें आने पर अथवा उनका समाधान न होने पर।

चिकित्सालय प्रबन्धन को निगम द्वारा सहमत दरों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने एवं उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तों के अनुपालन हेतु सहमति रू० 100.00 के नान ज्यूडीशियल स्टाम्प पर यह आदेश प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर उपलब्ध करानी होगी। (प्रारूप संलग्न)

निदेशक (मा०सं०)

L No: M-2469 /UJVNL/05/Director HR/DGM(HR)/M-1

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
3. निदेशक (परिचालन) / (परियोजनाएं) / (वित्त) / (मा०सं०), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
4. अधिशासी निदेशक (जानपद) / (वि०/या०) / (ओ०एण्डएम०) / (वित्त) / (मा०सं०), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
5. समस्त महाप्रबन्धक, यूजेवीएन लिमिटेड को इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने अधीनस्थ कार्यालयों को इस आदेश की प्रति अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
6. उपमहाप्रबन्धक, (कार्मिक), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
7. उपमहाप्रबन्धक, (आई०टी०), यूजेवीएन लिमिटेड देहरादून को निगम की वैबसाइट पर "चिकित्सालयों की मान्यता शीर्षक के अन्तर्गत" अपलोड करने हेतु।
8. कम्पनी सचिव, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
9. उप मुख्य लेखाधिकारी, सी०एस०पी०पी०ओ०, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
10. वरिष्ठ विधि अधिकारी, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
11. चिकित्साधिकारी, मुख्यालय उज्ज्वल भवन, देहरादून।
12. तालिका सूची में दर्शाये हुए विभिन्न चिकित्सालय।
13. अध्यक्ष / महामंत्री समस्त यूनियन / एसोसिएशन।

  
(राजेश चन्द्र)

उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०)